

सामान्यतः अभ्यर्थियों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न

(FREQUENTLY ASKED QUESTION)

मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय संयुक्त यूजी. काउंसिलिंग नीट यूजी. 2026

प्रश्न 1— राज्य के निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में एन0 आर0 आई0 कोटे की सीटों पर प्रवेश हेतु पात्रता क्या होगी ?

उत्तर— अभ्यर्थी का नीट यूजी0 2026 की चयन परीक्षा में अनारक्षित श्रेणी के लिए एन0एम0सी0/एन0टी0ए0 द्वारा निर्धारित न्यूनतम पात्रता पर्सेंटाईज अथवा उससे अधिक प्राप्त किया होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 09 मार्च 2018 में प्रदर्शित मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 के नियम 2(ख) के अनुसार पात्रता रखता हो।

प्रश्न 2— क्या एन0आर0आई0 अभ्यर्थी एन0आर0आई0 कोटे की सीटों के अतिरिक्त ओपन श्रेणी की सीटों पर भी पात्रता रखता है ?

उत्तर— एन0आर0आई0 अभ्यर्थी अपनी पात्रता/मेरिट के अनुसार ओपन श्रेणी की अनारक्षित सीटों पर भी अपने विकल्प (च्वाईस फिलिंग) अनुसार आवंटन की पात्रता रखता है।

प्रश्न 3— क्या एन0आर0आई0 कोटे की सीटों पर आरक्षण लागू है ?

उत्तर— मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 09 मार्च 2018 में प्रदर्शित मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 की संलग्न अनुसूची-2 खण्ड - स, के अनुसार एन0आर0आई0 कोटे की सभी रिक्तियाँ अनारक्षित होंगी।

प्रश्न 4— क्या एन0आर0आई0 अभ्यर्थी को एन0आर0आई0 कोटे की सीटों हेतु पृथक से पंजीयन कराना होगा?

उत्तर— एन0आर0आई0 अभ्यर्थी को एन0आर0आई0 कोटे की सीटों हेतु एक ही पंजीयन कराना होगा।

प्रश्न-5 प्रथम चरण की काउंसिलिंग में मुझे जो सीट आवंटित हुई है उस पर यदि मैं प्रवेश नहीं लेता हूँ, तो क्या मैं आगामी चरणों की काउंसिलिंग के लिये पात्र रहूँगा या नहीं ?

उत्तर — प्रथम चरण की काउंसिलिंग में आवंटित सीट पर यदि प्रवेश नहीं लेते हैं, तो आगामी चरणों की काउंसिलिंग के लिये आप पात्र रहेंगे।

प्रश्न 6— क्या सैनिक प्रवर्ग के 3 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण हेतु पैरामेडिकल फोर्स (BSF,CRPF,etc)में कार्यरत व्यक्तियों के पुत्र/पुत्री भी पात्र हैं ?

उत्तर— नहीं। केवल भारतीय सेना के तीन अंगों थल सेना, जल सेना एवं वायु सेना में कार्यरत/सेवामुक्त/मृत/युद्ध में विकलांग व्यक्तियों की संतानों ही आरक्षण के पात्र हैं।

प्रश्न 7— शासकीय विद्यालय विद्यार्थी प्रवर्ग हेतु 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की पात्रता क्या है ?

उत्तर— मध्यप्रदेश राज्य के विद्यार्थियों को शासकीय विद्यालय विद्यार्थी प्रवर्ग के अन्तर्गत 5 प्रतिशत आरक्षण की पात्रता होगी जिन्होंने मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालय से कक्षा 6वीं से 12वीं तक नियमित अध्ययन तथा परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा शिक्षा के अधिकार अधिनियम के माध्यम से कक्षा 1 से 8वीं तक निजी स्कूलों में पढ़ने के बाद शासकीय विद्यालय में कक्षा 9वीं से 12वीं तक नियमित अध्ययन एवं परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

प्रश्न 8— क्या अभ्यर्थी पंजीयन के समय एक से अधिक प्रवर्ग हेतु पात्र होने पर एक से अधिक प्रवर्ग का लाभ ले सकता है ?

उत्तर — नहीं। अभ्यर्थी को पंजीयन के समय प्रवर्ग के अन्तर्गत विकलांग, सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शासकीय विद्यालय विद्यार्थी विकल्पों में से पात्रता अनुसार केवल एक विकल्प का चयन कर सकता है।

प्रश्न 9— प्रथम चरण की काउंसिलिंग में मुझे कोई सीट आवंटित नहीं हुई है क्या मैं द्वितीय चरण की काउंसिलिंग के लिये पात्र रहूँगा?

उत्तर — यदि प्रथम चरण की काउंसिलिंग में कोई सीट आवंटित नहीं हुई है, तो आप द्वितीय चरण की काउंसिलिंग के लिये पात्र रहेंगे।

प्रश्न 10— क्या राज्य स्तरीय काउंसिलिंग में अपग्रेडेशन का विकल्प प्रथम चरण में प्रवेश के उपरांत ही उपलब्ध है?

उत्तर— राज्य स्तरीय काउंसिलिंग में प्रवेशित अभ्यर्थी को प्रथम एवं अथवा द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में प्रवेश के उपरांत अपग्रेडेशन का विकल्प दिये जाने की सुविधा है।

प्रश्न 11— मैं अपग्रेडेशन का विकल्प किस प्रकार से दे सकता हूँ?

उत्तर— अभ्यर्थी को कालेज स्तर पर प्रथम एवं द्वितीय चरण में प्रवेश के समय अपग्रेडेशन विकल्प Yes or No में से एक विकल्प चयनित करने पर ही ऑनलाईन प्रवेश स्लिप जारी होगी। अभ्यर्थी के लॉगइन पर इस विकल्प को एडिट करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। यह एडिट फेसिलिटी समय सारणी में अपग्रेडेशन हेतु निर्धारित समय अवधि तक ही रहेगी।

प्रश्न 12— प्रथम चरण की काउंसिलिंग में आवंटित सीट पर मैंने प्रवेश लिया है, एवं प्रवेश के समय मैंने द्वितीय चरण हेतु अपग्रेडेशन का विकल्प दिया है तो क्या अपग्रेडेशन न होने की स्थिति में मेरी पूर्व की सीट यथावत रहेगी अथवा नहीं?

उत्तर— यदि आपने प्रथम चरण की काउंसिलिंग में आवंटित सीट पर प्रवेश लिया है, एवं अपग्रेडेशन का विकल्प दिया है तथा द्वितीय चरण में आप अपग्रेड नहीं होते हैं तो ऐसी दशा में आपकी प्रथम चरण की प्रवेशित सीट यथावत रहेगी।

प्रश्न 13— द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में आवंटित सीट पर मैंने प्रवेश लिया है, एवं प्रवेश के समय मैंने अंतिम चक्र (मॉप अप राउण्ड) हेतु अपग्रेडेशन का विकल्प दिया है तो क्या अपग्रेडेशन न होने की स्थिति में मेरी पूर्व की सीट यथावत रहेगी अथवा नहीं?

उत्तर— यदि आपने द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में आवंटित सीट पर प्रवेश लिया है, अथवा आप प्रथम चरण की काउंसिलिंग से प्रवेशित है एवं अपग्रेडेशन का विकल्प दिया है तथा मॉप अप राउण्ड (अंतिम चक्र) में आप अपग्रेड नहीं होते हैं तो ऐसी दशा में आपकी प्रथम चरण/द्वितीय चरण की प्रवेशित सीट यथावत रहेगी।

प्रश्न 14— मेरे द्वारा प्रथम चरण अथवा द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में आवंटित सीट पर मैंने प्रवेश लिया है, एवं प्रवेश के समय मैंने द्वितीय चरण अथवा मॉप अप चरण हेतु अपग्रेडेशन का विकल्प दिया है तो क्या अपग्रेडेशन होने की स्थिति में मुझे अपग्रेडेड सीट/महाविद्यालय/श्रेणी में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा ?

उत्तर— अपग्रेडेशन के विकल्प दिये जाने के अनुक्रम में द्वितीय चरण अथवा मॉप अप चरण में अपग्रेड होने की स्थिति में आपको अपग्रेडेड सीट/महाविद्यालय/श्रेणी में प्रवेश लेना अनिवार्य है। पूर्व प्रवेशित महाविद्यालय में ही विषय अथवा श्रेणी अपग्रेड होने पर उसी महाविद्यालय में अभ्यर्थी को प्रवेश प्रक्रिया पुनः करना अनिवार्य है। ऑनलाईन अपग्रेडेशन प्रक्रिया के दौरान अपग्रेडेशन होने पर अभ्यर्थी की पूर्व प्रवेशित सीट स्वतः निरस्त हो जाती है एवं दूसरे पात्र अभ्यर्थी को मेरिट के अनुसार आवंटित हो जाती है।

प्रश्न 15— प्रवेशित सीट से त्याग पत्र दिये जाने की प्रक्रिया क्या होगी?

उत्तर— प्रवेशित सीट से त्यागपत्र प्रवेश नियम-15के उप नियम 1 के अधीन होगा तथा त्यागपत्र देने की प्रक्रिया ऑनलाईन है। प्रवेशित सीट से ऑनलाईन त्यागपत्र प्रवेशित महाविद्यालय स्तर पर होगा। त्यागपत्र प्रक्रिया हेतु अभ्यर्थी को स्वयं प्रवेशित महाविद्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

प्रश्न 16— यदि मैं प्रथम चरण की काउंसिलिंग में आवंटित सीट पर प्रवेश लेता हूँ, एवं उस सीट से त्याग पत्र देता हूँ, तो क्या मैं आगामी चरणों की काउंसिलिंग के लिये पात्र रहूंगा?

उत्तर— प्रथम चरण की आवंटित सीट में प्रवेश लेने के उपरांत सीट से प्रवेश नियम 15 उप नियम 1 के अन्तर्गत त्यागपत्र देते हैं तो आप काउंसिलिंग के समस्त आगामी चरणों के लिये पात्र होंगे।

प्रश्न 17— यदि मैं प्रथम चरण की काउंसिलिंग में आवंटित सीट पर प्रवेश लेता हूँ एवं प्रदर्शित समयावधि में उस सीट से त्यागपत्र देता हूँ, तो मुझे कितना शैक्षणिक शुल्क वापिस होगा।

उत्तर— यदि आप द्वितीय चरण की काउंसिलिंग के दो दिवस पूर्व तक त्यागपत्र देते हैं, तो आपकी जमा की गई फीस में से 10 प्रतिशत फीस (अधिकतम दस हजार रुपये) काटकर आपकी फीस काउंसिलिंग समाप्ति के उपरांत वापिस

कर दी जावेगी। एनआरआई अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त समय सीमा में त्यागपत्र दिया जाता है तो उस पर रु0 25000/- कटौती की जावेगी।

प्रश्न-18 प्रवेशित सीट से त्यागपत्र देने पर सीट लिविंग बॉण्ड कब लागू होगा ?

उत्तर- मॉप अप राउण्ड (अंतिम चक्र) की काउंसिलिंग के दो दिवस पूर्व तक त्यागपत्र देने पर नियमानुसार सीट लीविंग बॉण्ड लागू नहीं होगा परन्तु निर्धारित समय सीमा के उपरांत त्याग पत्र दिये जाने पर सीट लीविंग बॉण्ड लागू होगा।

प्रश्न-19 द्वितीय चरण में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी की पात्रता क्या होगी ?

उत्तर- प्रवेश नियम 11 के उप नियम 2 (मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018-संशोधन 2 जुलाई 2024) के अनुसार पात्रता निर्धारित होगी।

प्रश्न-20 क्या द्वितीय चरण/मॉप चरण में भाग लेने हेतु पुनः च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग करना अनिवार्य होगा?

उत्तर- द्वितीय चरण/मॉप चरण में भाग लेने हेतु सभी पात्र अभ्यर्थियों को निर्धारित अग्रिम शुल्क (Advance Fee) जमा करने के पश्चात च्वाइस फिलिंग एवं च्वाइस लॉकिंग किया जाना अनिवार्य होगा।

प्रश्न-21 द्वितीय चरण/मॉप अप चरण में जमा किये गये अग्रिम शुल्क (Advance Fee) का समायोजन किस तरह से होगा।

उत्तर - द्वितीय चरण/मॉप अप चरण में सीट आवंटित होने की स्थिति में प्रवेश के समय यह राशि आवंटित संस्था की कुल शैक्षणिक शुल्क में समायोजित कर दी जायेगी। यदि द्वितीय चरण/मॉपअप चरण में कोई सीट आवंटित नहीं होती है तो निर्धारित समय सीमा में यह राशि अभ्यर्थी के बैंक खाते में वापिस कर दी जायेगी, परन्तु अभ्यर्थी जिन्हें द्वितीय चरण/मॉपअप चरण में कोई सीट आवंटित होती है एवं वह आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लेता है तो इस दशा में अभ्यर्थी द्वारा जमा कराई गई अग्रिम शुल्क राजसात हो जायेगी।

प्रश्न-22 मैं प्रथम चरण की काउंसिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी हूँ एवं मैंने द्वितीय चरण/मॉप अप चरण हेतु अपग्रेडेशन का विकल्प दिया है ऐसी स्थिति में क्या मैं प्रवेशित सीट से त्याग पत्र दे सकता हूँ।

उत्तर— हों।

प्रश्न-23 क्या रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया एक ही बार की जायेगी?

उत्तर— रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया काउंसिलिंग से पूर्व निर्धारित घोषित कार्यक्रम के अनुसार की जावेगी। द्वितीय चरण के उपरान्त एवं मॉप अप चरण से पूर्व रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पुनः एक बार खोली जावेगी। काउंसिलिंग हेतु प्रथम चरण से पूर्व पंजीकृत अभ्यर्थी को पुनः रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न 24 मॉप अप चरण हेतु पात्रता क्या होगी?

उत्तर— मॉप अप चरण हेतु पात्रता निम्नानुसार होगी—

1. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें काउंसिलिंग के प्रथम अथवा द्वितीय चक्र में आवंटन आदेश जारी नहीं किया गया है।
2. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम अथवा द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में आवंटन उपरान्त प्रवेश लिया है एवं नियमानुसार बेहतर विकल्प (upgradation) का चयन किया है।
3. नवीन पंजीकृत अभ्यर्थी।

प्रश्न 25— पात्र अभ्यर्थी को मॉप अप चरण में क्या करना होगा?

उत्तर— ऐसे अभ्यर्थियों को मॉप अप चरण हेतु च्वाइस फिलिंग एवं लॉकिंग से पूर्व ₹0 2.00 लाख अग्रिम शुल्क के रूप में जमा करनी होगी एवं एन.आर.आई अभ्यर्थी को 10 लाख रुपये अग्रिम शुल्क जमा करानी होगी, तभी वह च्वाइस फिलिंग एवं च्वाइस लॉकिंग कर पायेंगे।

प्रश्न 26— मॉप अप चरण हेतु अग्रिम शुल्क ₹0 2.00 लाख/₹0 10 लाख (एन0आर0आई0 अभ्यर्थी) का समायोजन किस तरह से होगा?

उत्तर — सीट आवंटित होने की स्थिति में प्रवेश के समय यह राशि आवंटित संस्था की कुल शैक्षणिक शुल्क में समायोजित कर दी जायेगी। यदि मॉप अप राउण्ड में कोई सीट आवंटित नहीं होती है तो निर्धारित समय सीमा में यह राशि अभ्यर्थी के बैंक खाते में वापिस कर दी जायेगी, परन्तु अभ्यर्थी जिन्हें मॉप अप चरण में कोई सीट आवंटित होती है एवं वह आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं

लेता है तो इस दशा में अभ्यर्थी द्वारा जमा कराई गई अग्रिम शुल्क रु0 2.00 लाख/रु0 10 लाख राजसात हो जायेगी।

प्रश्न 27— मुझे प्रथम चरण में एन0 आर0 आई0 कोटे से प्रथम च्वाईस की सीट आवंटित हुई थी, मैंने उस पर प्रवेश ले लिया है, अब मैं द्वितीय चरण में दूसरे महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता हूँ, क्या यह संभव है?

उत्तर— इसके लिये प्रथम चरण में प्रवेश के पश्चात कैंडिडेट लॉगईन पर उपलब्ध अपग्रेडेशन का ऑप्शन देना होगा तथा द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में पुनः च्वाईस फिलिंग एवं लॉकिंग करनी होगी।

प्रश्न 28— क्या नीट यू0जी काउंसिलिंग 2026 हेतु मध्य प्रदेश से बाहर के अभ्यर्थी पात्र हैं?

उत्तर— द्वितीय चरण एवं उसके बाद के चरणों में मध्य प्रदेश के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थी मेरिट में उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में सीट राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को मेरिट कम च्वाईस के आधार पर आवंटित की जायेगी।

प्रश्न 29— मैं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का अभ्यर्थी हूँ मुझे आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा।

उत्तर— ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 में परिभाषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आरक्षण के पात्र हैं उन्हें अनुसूची-2 के अन्तर्गत आरक्षण का लाभ मिलेगा।

प्रश्न 30— मुझे काउंसिलिंग के चरण में सीट आवंटित होने की स्थिति में क्या करना होगा।

उत्तर— यदि काउंसिलिंग के किसी चरण में आपको सीट आवंटित होती है तो आवंटन आदेश की प्रति के साथ अनुसूची-3 में उल्लेखित प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज लेकर अभ्यर्थी को स्वयं आवंटित महाविद्यालय में जाकर प्रवेश की प्रक्रिया मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 के बिन्दु क्रमांक 10 के अन्तर्गत समय सीमा में पूर्ण करना होगा। पूर्ण शैक्षणिक शुल्क ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से जमा करने के उपरान्त ही प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकेगी।

- प्रश्न 31— क्या रजिस्ट्रेशन/ च्वाईस फिलिंग के लिये मुझे महाविद्यालय में उपस्थित होना पड़ेगा।
- उत्तर— रजिस्ट्रेशन एवं च्वाईस फिलिंग ऑनलाईन प्रक्रिया है अभ्यर्थी यह दोनो प्रक्रियाएं किसी भी स्थान से इन्टरनेट के माध्यम से एम पी ऑनलाईन के पोर्टल पर कर सकेंगे। अभ्यर्थी को आवंटन आदेश प्राप्त होने के पश्चात् ही महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया हेतु उपस्थित होने की आवश्यकता है।
- प्रश्न 32— च्वाईस फिलिंग में न्यूनतम एवं अधिकतम कितनी च्वाईस भरना अनिवार्य है।
- उत्तर — च्वाईस फिलिंग में न्यूनतम एक च्वाईस भरना अनिवार्य है। अभ्यर्थी अधिकतम समस्त च्वाईस भर सकता है। च्वाईस फिलिंग के पश्चात् अभ्यर्थी च्वाईस लॉक करना सुनिश्चित करें।
- प्रश्न 33— क्या मैं बेहतर सीट (अपग्रेड) का विकल्प भर सकता हूँ।
- उत्तर — प्रथम चरण/द्वितीय चरण में प्रवेश के उपरांत बेहतर विकल्प (upgradation) का ऑप्शन अभ्यर्थी अपने कैंडिडेट लॉगईन से भर सकता है।
- प्रश्न 34— मॉप अप राउण्ड के पश्चात् रिक्त सीटों का आवंटन किस प्रकार किया जायेगा।
- उत्तर — मॉप अप राउण्ड के पश्चात् रिक्त सीटों का आवंटन मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार किया जायेगा।
- प्रश्न 35— काउंसिलिंग की प्रक्रिया/दिशा निर्देश के लिये मुझे किस वेबसाइट का इस्तेमाल करना होगा।
- उत्तर— काउंसिलिंग की सम्पूर्ण प्रक्रिया dme.mponline.gov.in पोर्टल पर संपन्न की जायेगी। इसके अतिरिक्त संचालनालय चिकित्सा शिक्षा की वेबसाइट www.medicaleducation.mp.gov.in पर काउंसिलिंग से संबंधित दिशा निर्देश प्रकाशित किये जायेंगे। अभ्यर्थी पोर्टल एवं वेबसाइट के सतत संपर्क में रहें।


4.8.26
संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्य प्रदेश